माध्यस्थम अधिनियम, 1940 की धारायें 20 (4) तथा 23(1) के अधीन निर्देश का आदेश बंगाल साधारण आरम्भिक सिविल, अधिकारिता में बिलियम फोर्ट में उच्च न्यायालय में,

वाद सं. ............................... सन् ...................................

माध्यस्थम अधिनियम, 1940 के मामले में

तथा

माध्यस्थम करार, दिनांकित ..........................................

के बीच

**अबक**  ........ वादी

(नाम, वर्णन, तथा निवास स्थान)

बनाम

**कखग**  ......... प्रतिवादी

(नाम, वर्णन, तथा निवास स्थान)

(वाद का हक)

तारीख .................. को प्रतिज्ञान की गयी .................. के एक शपथपत्र द्वारा सत्यापित की गयी और तारीख ................. को दाखिल की गयी ................... की याचिका को पढ़ने पर तथा कथित याचिका तथा उसकी सम्यक तामील की ................... के शपथपत्र को दाखिल करने पर तारीख ................... को दाखिल कर जारी किया गया। दोनों तारीख .................. को दाखिल की गयी और वादी तथा प्रतिवादी द्वारा तथा उनके बीच माध्यस्थम करार तारीख ............... को हुआ और वादी के लिए अधिवक्ता तथा प्रतिवादी के लिए अधिवक्ता ............... को सुनने पर यह आदेश दिया जाता है कि कथित करार दाखिल कर दिया जाय, और यह आगे आदेश दिया जाता है कि विभिन्न...................../कथित करार में विनिर्दिष्ट अर्थात् वाद में पैदा होने वाले निम्नलिखित मामला।

(मामले की भिन्नता का कथन करें)

**राजेश** एवम् **शरद** को अवधारण के लिए और उन दोनों के बीच राय में भिन्नता के मामले में **शेखर** को अवधारणा के लिए निर्दिष्ट किया जाय जिसको अम्पायर होने के लिए एतद्द्वारा नियुक्त किया जाता है और यह आगे आदेश किया जाता है कि कथित मध्यस्थ की गयी सभी कार्यवाहियों, आभलिखित किये गये अभिसाक्ष्य के साथ-साथ लिखित अपने पंचाट करेगें और प्रस्तुत करेगें और तारीख ............ को उसके पूर्व उनके समक्ष दाखिल किये गये होने को प्रदर्शित करते हैं और पंचाट की हैसियत से कथित मध्यस्थों के बीच रायों में मतभेद होने की दशा में, वे कथित अम्पायर कथित अम्पायर को ऐसी मतभेद की तत्काल नोटिस देगे जो की गयी सभी कार्यवाहियों, अभिलिखित किये अभिसाक्ष्यों के साथ-साथ लिखित रूप से अपना पंचाट करेगें तथा उसे प्रस्तुत करेंगे और तारीख ..................... के अन्दर उसके समक्ष दाखिल किया हुआ प्रदर्शित करते है पक्षकारों समय-समय पर आवेदन करने की स्वतंत्रता होगी जैसा उनके पास अवसर हो।

साक्षी इत्यादि रजिस्ट्रार/मालिक